कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004
ई–मेल : dme12001@yahoo.com फोन नं. : 0755–2551307, 2578844 (फैक्स)

क्रमांक 770/कार्या0स्था0/संचिशि/2022, भोपाल, दिनांक 2/9/2022

आउटसोर्स कर्मचारियों हेतु विज्ञप्ति

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल में आउटसोर्स से कर्मचारियों के लिये निविदा आमंत्रित की जाती हैं । सहायक वर्ग–3/स्टेनोटायपिस्ट (कलेक्टर रेट), भृत्य, स्वीपर (सफाई कर्मचारी), चौकीदार। इच्छुक एवं पंजीकृत फर्म/ एजेन्सी निविदा फार्म **विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 12.09.2022, सांय 05:00 बजे तक राशि रू. 5000/– साईबर ट्रेजरी के माध्यम से प्राप्ति शीर्ष 0210–01–800–160–other receipts में जमा कर मूल प्रति प्रस्तुत कर कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 12.09.2022, सायंकाल 05:00 बजे तक होगी। दिनांक 16.09.2022 को तकनीकी बिड का परीक्षण किया जायेगा। दिनांक 19.09.2022 को अपरान्ह 03:00 बजे वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसमें निविदाकार उपस्थित हो सकते है।** निविदा की शर्ते एवं पदों की स्थिति निविदा फार्म में दी गई है ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

नोटः– विस्तृत जानकारी के लिए संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.medicaleducation.mp.gov.in पर देखे

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

सहायक वर्ग–3/स्टेनोटायपिस्ट (कलेक्टर रेट), भृत्य, स्वीपर (सफाई कर्मचारी), चौकीदार की सेवाएं हेतु निविदा

संचालनालय में सहायक ग्रेड–3 के 10, भृत्य के 05, स्वीपर का 02 एवं चौकीदार के 01 रिक्त पदों को आउट सोर्स से भरे जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	पदों का विवरण	पद संख्या	वांछित शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	न्यूनतम वेतन
1.	सहायक ग्रेड–3/ स्टेनोटायपिस्ट (कलेक्टर रेट)	10	माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण, मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परिषद से हिन्दी मुद्रलेखन एवं शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा निम्न में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य– 1. यूजीसी द्वारा प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा 2. यूजीसी द्वारा प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा 3. डी.ओ.ई.ए.सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा 4. शासकीय पॉलीटेक्नीक कालेज से मॉडर्न आफिस मैनेजमेंट कोर्स। 5. CPCT उत्तीर्ण	किसी शासकीय/ अशासकीय कार्यालय में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव	कलेक्टर द्वारा निर्धारित उच्च कुशल श्रमिक का पारिश्रमिक
2.	भृत्य	05	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा कार्यालय कार्यो में सहायक के रूप में कार्य करने की क्षमता	–तदैव–	कलेक्टर द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिक का पारिश्रमिक
3.	स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	02	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–	कलेक्टर द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिक का पारिश्रमिक
4.	चौकीदार	01	आठवीं परीक्षा उत्तीर्ण	–तदैव–	कलेक्टर द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिक का पारिश्रमिक

निविदा प्रपत्र का मूल्य	:–	रूपये 5000/– मात्र का चालान जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा
प्रकाश दिनांक से **निविदा क्रय हेतु अंतिम तिथि**	:–	**12.09.2022**
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	:–	**12.09.2022 सायं 5:00 बजे तक**
तकनीकी बिड परीक्षण की तिथि	:–	**16.09.2022**
फायनेंशियल बिड खोलने की तिथि	:–	**19.09.2022** (निविदाकार उपस्थित हो सकते है।)

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

निविदाकारों लिये सामान्य अनुदेश

1. निविदा प्रपत्र संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यालय से, रू. 5000/– (पांच हजार मात्र) की राशि साईबर ट्रेजरी के माध्यम से प्राप्ति शीर्ष 0210–01–800–160–other receipts में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा।

2. **निविदा में भाग लेने हेतु वांछित योग्यता :–**

   निविदा प्रपत्र के साथ निम्नलिखित वांछित दस्तावेजों की सुस्पष्ट/पठनीय प्रमाणित छायाप्रतियां क्रमबद्ध संलग्न करना अनिवार्य है :–

   i. एजेंसी फर्म होने पर पंजीयक फर्म एवं सोसायटी एवं कम्पनी की दशा में रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा जारी वैध पंजीयन, प्रोपराइटरशिप/स्वामित्व का प्रमाण–पत्र जो निविदा में भाग लेने की तिथि से 12 माह के लिये वैध हो।

   ii. कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध पंजीयन तथा गत वर्ष का रिटर्न।

   iii. कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न।

   iv. श्रम आयुक्त म.प्र. द्वारा जारी वैध एवं उपयुक्त लेबर लाईसेंस ।

   v. स्थायी आयकर क्रमांक (PAN) तथा पिछले दो वर्षो की अंकेक्षित बैलेन्स शीट।

   vi. सर्विस टैक्स का पंजीयन (15 डिजिट वाला कोड न.)।

   vii. कार्य के समान कार्य सम्पादन/सेवा प्रदाय के 03 वर्ष के अनुभव प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।

   viii. एजेंसी का पिछले 03 वर्षो में से कम से कम 02 वर्षो के लिये राशि रू. 10 लाख का टर्नओवर एवं नेटवर्थ पॉजिटिव (लाभ) में होने का सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रति।

   ix. एजेन्सी को शपथ पत्र देना होगा कि उसके विरूद्ध ई.एस.आई.सी., ई.पी.एफ. एवं सर्विस टेक्स से संबंधित कोई भी प्रकरण किसी विभाग अथवा न्यायालय में लंबित नहीं है।

   x. दस्तावेजों के सत्यता/वैधता के संबंध में फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्तांतरित एवं नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है ।

   xi. संस्था सभी प्रकार के श्रम नियमों, सरकार द्वारा समय–समय पर जारी वित्तीय एवं संबंधित अनुदेशों के पालन हेतु जिम्मेवार होगी।

3 धरोहर राशि :–

i. राशि रूपये 50,000/– (राशि रूपये पचास हजार मात्र) की एफ.डी.आर. जो स्थानीय एवं राष्ट्रीयकृत बैंक से निविदा जारी होने की तिथि से 180 दिनों के लिये वैध हो तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल के पक्ष में देय हो, निविदा के साथ जमा किया जाना होगा।

ii. निविदा स्वीकृति की सूचना के 15 दिवस की अवधि में निविदाकार को कुल निविदा राशि के 05 प्रतिशत राशि का एफ.डी.आर. जो स्थानीय /राष्ट्रीयकृत बैंक से निविदा स्वीकृत होने की तिथि से 15 माह के लिये वैध हो तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल के पक्ष में देय हो, जमा किया जाकर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

iii. निर्धारित अवधि मे अनुबंध नहीं करने की दशा में निविदा निरस्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी तथा द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को L_1 दर पर अनुबंध के लिए अवसर प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा ।

iv. सर्विस टैक्स की दरों के संबंध में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये दिशा निर्देशों के तहत विचार किया जावेगा।

v. यदि एक से अधिक निविदाकारों की समान दरें पाई जाती है तो उस स्थिति में अधिक कार्य अनुभव एवं **अधिक टर्न ओवर वाले निविदाकार** को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी जिसमें आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

vi. अनुबंध सम्पादित किये जाने के उपरान्त अन्य असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वापिस कर दी जावेगी ।

4 निविदा निम्नानुसार डाली जावेगी :–

i. प्रथम लिफाफे में धरोहर राशि की एफ.डी.आर. एवं द्वितीय लिफाफे में अर्हता संबंधी दस्तावेज रखे जाएंगे । तृतीय लिफाफे में वित्तीय आफर (दर सूची) रखी जावेगी । तीनों लिफाफों अ, ब, स पर "कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने संबंधी निविदा" लिखा हो सील बंद कर आवक शाखा में जमा करना होगा। तकनीकी बिड (प्रथम एवं द्वितीय लिफाफे) खोलने के बाद अर्हता रखने वाले निविदाकरों का ही वित्तीय ऑफर (दर सूची) तृतीय लिफाफा खोला जाएगा।

5 **अनुबंध की अवधि :–**

(i) अनुबंध की अवधि कार्यादेश के दिनांक से एक वर्ष की होगी तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक वर्ष हेतु बढ़ायी जा सकेगी ।

(ii) एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों को बगैर सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के सेवा से पृथक नहीं किया जा सकेगा।

(1) एजेन्सी को समस्त कर्मियों का प्रत्येक माह का पारिश्रमिक का भुगतान आगामी माह की 05 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। भुगतान यथासंभव ई–पेमेंट के माध्यम से सीधे संबंधित के बैंक खाते में करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना की राशि नियमानुसार एजेन्सी द्वारा संबंधित विभाग में जमा कर उसकी प्रति चिकित्सा शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(2) एजेन्सी को देयक अनिवार्य रूप से आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा जिसमें कर्मचारियों से संबंधित EPF, ESIC की राशि का विस्तृत विवरण संलग्न हो। निर्धारित तिथि के पूर्व भुगतान नहीं होने की स्थिति में एवं संबंधित कर्मी द्वारा लिखित शिकायत करने पर विलम्बित अवधि के लिए रूपये 100/– प्रति कर्मी प्रति दिवस के अनुसार दण्ड अधिरोपित किया जायेगा । यदि उपलब्ध कराए गए कर्मी का व्यवहारिक ज्ञान, कार्य क्षमता, संबंधित जानकारी उचित नहीं पाई जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति एजेन्सी को 24 घंटे के अन्दर उपलब्ध कराना होगा ।

(3) सफल निविदाकार एजेन्सी को परफोर्मेन्स गारंटी के रूप में राशि रूपये 1,00,000/– संचालक, चिकित्सा शिक्षा के नाम से जमा कराना होगी । एजेन्सी द्वारा जिस कर्मचारी की सेवायें उपलब्ध कराई जायेंगी, यदि वह कर्मचारी कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तथा एजेन्सी द्वारा ऐवजी कर्मचारी की सेवायें उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में आउटसोर्स कर्मचारी की अनुपस्थिति की दशा में उस दिवस की राशि काट ली जावेगी एवं बाजार से कार्य कराने की स्थिति में व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति परफोर्मेन्स गारंटी के रूप में जमा की गई राशि या कार्यालय को प्रस्तुत देयकों से की जा सकेगी ।

(4) संचालनालय में उल्लेखित रिक्त पदों के विरूद्ध आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से लिये जाने वाले मेनपावर की अवधि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से चयनित उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने या निविदा की 01 वर्ष की समयावधि में से जो पहले होने तक मान्य होगा।

6 **पक्षकारों के मध्य विवाद** :–

i. इस अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन भोपाल का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

ii. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दर्शाये अथवा कार्य असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा ।

(डॉ. जितेन शुक्ला)
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

....

....

निविदा हेतु आवेदन पत्र एवं संलग्न पत्रों का विस्तृत विवरण –

1	संस्था का नाम एवं पता	....
2	संस्था का प्रकार (प्रोपराईटर/पार्टनरशिप/ एनजीओ/या अन्य कोई) प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	....
3	संस्था के रजिस्ट्रार/सब रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी म. प्र. में वैध पंजीयन की छायाप्रति।	....
4	कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध पंजीयन तथा गत वर्ष का रिटर्न	....
5	कर्मचारी निधि (ई.पी.एफ.) का वैध पंजीयन तथा पिछले वर्ष का रिटर्न	....
6	श्रमायुक्त, श्रम उपायुक्त, सहायक आयुक्त अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी वैध लेबर लायसेंस।	....
7	परमानेंट इन्कम टेक्स (PAN no.) होना आवश्यक है। पिछले 02 वर्षों की अंकेक्षित बैलेन्स शीट।	....
8	सर्विस टेक्स का पंजीयन (प्रमाण–पत्र)	....
9	किसी शासकीय/अर्द्ध शासकीय अथवा शासन के किसी उपक्रम में निविदत्त कार्य के समान कार्य का कम से कम 03 वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र।	....
10	कंपनी के प्रकरण में (मेमोरेंडम ऑफ कम्पनीज के वैध पंजीयन की प्रतिलिपि)	....
11	संस्था के पिछले पांच वर्षों में से कम से कम 03 वर्षों का टर्न ओवर रू. 10 लाख से अधिक होने संबंधी चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा प्रमाणित पिछले वर्ष की बैलेंस शीट ।	....
12	**सर्विस टैक्स की दर प्रतिशत में**	

13. शासकीय कार्यालयों का विवरण जिसका कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है :–

क्र.	विभाग का नाम	विभाग का पता	अनुबंध क्रमांक	दिनांक

13. धरोहर राशि का विवरण ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

....

....

<u>वित्तीय निविदा हेतु आवेदन पत्र –</u>

सहायक वर्ग–3/स्टेनोटायपिस्ट (कलेक्टर रेट), भृत्य, स्वीपर (सफाई कर्मचारी), चौकीदार उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय निविदा

क्र0	आउटसोर्स कर्मी का विवरण	पद संख्या	न्यूनतम पारिश्रमिक	एजेन्सी का सर्विस चार्ज (कॉलम–4 की राशि पर प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1.	सहायक ग्रेड–3/ स्टेनोटायपिस्ट (कलेक्टर रेट)	10	कलेक्टर द्वारा निर्धारित उच्च कुशल श्रमिक का पारिश्रमिक	
2.	भृत्य	05	कलेक्टर द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिक का पारिश्रमिक	
3.	स्वीपर (सफाई कर्मचारी)	02	कलेक्टर द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिक का पारिश्रमिक	
4.	चौकीदार	01	कलेक्टर द्वारा निर्धारित अर्द्धकुशल श्रमिक का पारिश्रमिक	
	कुल	**18**		

नोट– कॉलम 4 पर उल्लेखित दरों पर ही सर्विस चार्ज देय होगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

....

....

क्रमांक– / .... दिनांक–

निविदा आमंत्रण सूचना

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल हेतु निविदा हेतु निर्धारित शर्तो के अधीन निम्नलिखित कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु मुहर बंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है :–

क्र.	संस्था का नाम	आउटसोर्स पद का विवरण	अनुमानित संख्या	वांछित शैक्षणिक योग्यता	न्यूनतम वेतन

1. निविदा का प्राक्कलित मूल्य :– ....
2. धरोहर राशि :– ....
3. निविदा प्रपत्र का मूल्य :– ....
4. निविदा क्रय हेतु अंतिम तिथि :– ....
5. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :– ....

निविदा प्रपत्र में निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदाकारों की वांछित अर्हताओं संबंधी जानकारी एवं अन्य शर्ते दी गई है । निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय में कार्यालय, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से **विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से दिनांक 12.09.2022, सांय 5:00 बजे** तक 5000/– (पांच हजार) का चालान संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश में प्रस्तुत कर प्राप्त किये जा सकते है ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल मे आउटसोर्स द्वारा नियुक्ति करने हेतु अर्हता/पात्रता

क्र.	पदनाम	योग्यता एवं अनुभव	पदों की संख्या	मासिक वेतन	EPF	ESI	सर्विस चार्ज	सर्विस टेक्स	अन्य	योग
1	**सहायक वर्ग–3 / स्टेनोटायपिस्ट (कलेक्टर रेट)**	1. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक एवं PGDCA 2. हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग कार्य में दक्षता, किसी शासकीय कार्यालय की योजना विकास एवं बजट/लीगल, शिकायत शाखा/स्थापना शाखा/ऑडिट एवं लेखा शाखा में 01 वर्ष का कार्यानुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।	10							
2	**भृत्य**	1. आठवीं पास । 2. किसी प्रतिष्ठित फर्म/शासकीय कार्यालय मे 01 वर्ष का कार्यानुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) ।	05							
3	**स्वीपर (सफाई कर्मचारी)**	तदैव	02							
4	**चौकीदार**	तदैव	01							